न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 3175–एक/14 एवं 3105–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक कमशः 17–9–14 एवं दिनांक 11–9–14पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव जिला भिण्ड प्रकरण कमांक 42/13–14/बी–121.

———

काजी ए.एन. तनवीर पुत्र श्री काजी
मोहम्मद हबीव
निवासी भिण्ड तह. व जिला भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री आर. डी. शर्मा, अधिवक्ता, आवेदक (दोनों प्रकरणों में)
श्री बी0एन0 त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक (दोनों प्रकरणों में)

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 08-01-15 को पारित)

———

ये निगरानियां अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 42/13–14/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 17.9.2014 एवं 11–9–14 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गईं हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी ग्राम देवरी द्वारा एस.डी.ओ. को रिर्पोट प्रस्तुत की गई कि ग्राम देवरी की भूमि सर्वे नं. 780 रकबा 0.26 पर बी.पी. केरोसिन भण्डार हेतु श्री ए.एन. तनवीर पुत्र मुहम्मद हबीब निवासरी भिण्ड को लीज पर दी गई थी जिसमें उनके द्वारा 10 X 3 एवं 30 X 30 की 6 दुकानों का निर्माण किया गया है एवं दुकान में कम्प्रेशर वाहन धुलाई हेतु लगा है जिससे लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ है । उक्त रिर्पोट के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । इस कारण जिसका उत्तर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया । आवेदक द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र दिनांक 11–9–14 के विरूद्ध इस

न्यायालय में निगरानी कमांक 3101—एक/14 प्रस्तुत की गई जिसमें इस [illegible] के लिए [illegible] आदेश जारी किया गया जिसका प्रति आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16—9—14 को प्रस्तुत की गई इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17—9—14 को अंतिम आदेश पारित करते हुए आवेदक को जारी पट्टा निरस्त करते हुए भूमि घोषित घोषित करने के आदेश दिए दिया । इसके साथ ही उन्होंने आदेश के नीचे पुनश्चः कर यह लिखा गया है कि आवेदक द्वारा राजस्व मंडल के आदेश की सत्य प्रति पेश की है । आदेश के पालन में प्रकरण तीन माह के लिए स्थगित किया जाता है तथा आगामी दिनांक 17—12—14 नियत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण आया जिस पर से निगरानी 770—दो/10 में पारित आदेश दिनांक 3—2—11 को आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाकर आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष भूमिस्वामी दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश दिए गए हैं साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि भूमि का आवंटन आवेदक को जिस विशेष शर्त के साथ किया गया था वह शर्त आज भी प्रभावी रहेंगी ।

यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय के आदेश के पालन में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया वर्तमान के राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित है । इस न्यायालय के आदेश की प्रति आवेदक ने कारण बताओ सूचनापत्र के जबाव में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की थी किंतु उसको अनदेखा कर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश पारित किया है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक को भूमि जो आवंटन किया गया था वह राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, भिण्ड द्वारा किया गया था । इस कारण अनुविभागीय अधिकारी को किसी प्रकार का कोई क्षेत्राधिकार किसी प्रकार की कार्यवाही का नहीं था यदि कोई कार्यवाही करने का अधिकार है तो वह केवल और केवल कलेक्टर को है । आवेदक पट्टेदार नहीं है अपितु भूमिस्वामी है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ [illegible]

3105–एक/14 पेश की जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 15–9–14 को स्थगन आदेश तीन माह तक जारी किया गया है । स्थगन आदेश की प्रति आवेदक ने दिनांक 16–9–14 को ही एस.डी.ओ. को प्रस्तुत करदी थी, इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के पट्टे को निरस्त किया गया है जो स्पष्ट रूप से इस न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है । अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 1993 आर.एन. 274 एवं 343 (उच्च न्यायालय) एवं 1988 जे0एल0जे0 1 (उच्चतम न्यायालय) का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि मौजा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट कि आवेदक द्वारा पट्टे पर मिली भूमि पर 9 दुकानें बना ली हैं तथा एक दुकान में कम्प्रेसर लगाकर वाहन धुलाई के उपयाग में है । पर से अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया । कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया किंतु आवेदक द्वारा चाहे जाने पर तथा 5 अवसर दिए जाने पर भी पट्टे की प्रति पेश नहीं की गई । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण किया जाकर मनमर्जी से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है ।

अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवमानना संबंधी सूचनापत्र के उत्तर में अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव द्वारा प्रस्तुत जबाव की प्रति भी पेश की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के स्थगन आदेश के उपरांत भी आदेश पारित करने के संबंध में यह कहा है कि इस न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 16–9–14 को ही आवेदक की ओर से पेश कर दिया गया था लेकिन उनका अधिवक्ता तथा आवेदक आदेश लिखे जाने तक उपस्थित नहीं हुए वे आदेश टीप कराते समय उपस्थित हुए और उन्होंने स्थगन आदेश प्रस्तुत होने के संबंध में बताया तक पुनश्चः लिखा जाकर तत्काल स्वयं के हस्तलेख से दिनांक 17–9–14 को आदेश स्थगित कर दिया गया है । पत्र में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि उक्त त्रुटि संबंधित आवेदक द्वारा स्थगन आदेश डायज पर पेश नहीं करने से

हुई है उसमें उनकी कोई त्रुटि नहीं है अतः अवमानना कार्यवाही इसी स्तर पर निरस्त की जावे ।

5/ जबाव में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि संस्थान पर आगजनी होने के कारण नियमानुसार भूमिगत टेंक पंप के बिना गोदाम आदि का निर्माण विधिवत अनुमति लेकर किया गया है, पंप स्थल पर कम्प्रेशर, हवा, पानी जनसुविधा उपलब्ध रहना आवश्यक है । यह तर्क दिया गया कि भूमिस्वामी को किसी भी प्रकार के निर्माण से नहीं रोका जा सकता है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस प्रकरण में संहिता की धारा 172(4) लागू नहीं होती है और अनुविभागीय अधिकारी ने इस संबंध में जो उल्लेख अपने . में किया है वह त्रुटिपूर्ण है । इस संबंध में उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जबाव की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है वह प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रथमदृष्टया अवैध प्रतीत होता है क्योंकि राजस्व मंडल ने प्रकरण क्रमांक निगरानी 770–दो/10 में दिनांक 3–2–11 को आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष भूमिस्वामी दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि का आवंटन जिस विशेष शर्त के साथ किया गया है वह शर्त आज भी प्रभावशील रहेगी । इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि आवेदक को भूमि का आवंटन राज्य शासन के आदेश के अनुक्रम में जिलाध्यक्ष भिण्ड द्वारा शर्तों के अधीन किया गया है इस कारण पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन होने पर आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का अधिकार केवल जिलाध्यक्ष को है नाकि अनविभागीय अधिकारी को । यदि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में आए थे कि आवेदक द्वारा पट्टे में दी गई शर्त का उल्लंघन किया गया तो उन्हें उक्त तथ्य कलेक्टर की जानकारी में लाना चाहिए था नाकि अवैधानिक तरीके से आवेदक के पट्टे को निरस्त करना चाहिए था। अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि विरूद्ध है।

7/ इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 11.9.14 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी क्रमांक

3101–एक / 14 प्रस्तुत की गई जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.9.14 को 3

16–9–14 को एस.डी.ओ. के समक्ष पेश करदी थी इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–9–14 को प्रकरण में आदेश पारित करना इस न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवमानना है । यद्यपि बाद में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 17–9–14 को ही पुनश्चः लिखकर अपने आदेश को तीन माह के लिए स्थगित कर दिया है किंतु इससे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि इससे आवेदक के इस तर्क को बल मिलता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की गई है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैध एवं क्षेत्राधिकार रहित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः एस.डी.ओ. को चेतावनी दी जाती है वह उनके समक्ष आने वाले प्रकरणों में सावधानी पूर्वक उनका निराकरण किया करें व ऐसी त्रुटि भविष्य में न करें इस टिप्पणी के साथ उनके विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह दोनों निगरानियां स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाते हैं । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अनुविभागीय अधिकारी यह पाते हैं कि आवेदक द्वारा पट्टे में दी गई किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है तो वे इस संबंध में अपना प्रतिवेदन कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही भेजने हेतु स्वतंत्र रहेंगे ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर